भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3921

19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

दिल्ली के लिए मास्टर प्लान-2041

†3921. श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

श्री बी. मणिक्कम टैगोरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार को 2023 में भेजे जाने के बावजूद दिल्ली मास्टर प्लान-2041 की अधिसूचना में विलंब के कारण क्या हैं और इसके कार्यान्वयन में विलंब के कारण विशिष्ट तकनीकी मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा प्रदूषण, भीड़भाड़ और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसे बढ़ते शहरीकरण के मुद्दों के समाधान के लिए शहरी विकास हेतु पर्याप्त बजट वृद्धि से प्राप्त निधि का उपयोग कुशलतापूर्वक किया जाना सुनिश्चित करने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को नए शहरों के विकास के लिए 28 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन नए शहरों का निर्माण विद्यमान शहरी चुनौतियों को बढ़ाए बिना, संधारणीय और समावेशी तरीके से किया जाना सुनिश्चित करने के लिए योजना का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए इसकी संवहनीय आवास योजना को पुनर्जीवित करने का लाभ वंचितों तक पहुंचना और बिल्डरों/डेवलपर्स द्वारा इसका दुरुपयोग नहीं किया जाना किस प्रकार सुनिश्चित किया जाता है; और

(ङ) सरकार द्वारा गैर-मोटर चालित परिवहन को बढ़ावा देने और शहरों में बढ़ती यातायात भीड़ को कम करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क): **मसौदा एमपीडी-2041** दिल्ली के भावी नियोजित विकास को दिशा देने के लिए एक नीतिगत ढांचा दस्तावेज है, जिसे पिछली योजनाओं के कार्यान्वयन से ली गई सीख के आधार पर बनाया गया है। दस्तावेज में कई जटिल मुद्दे शामिल हैं, जिनके लिए विस्तृत विश्लेषण और हितधारकों के परामर्श की आवश्यकता है, ये प्रक्रिया वर्तमान में चल रही है। मसौदा **एमपीडी-**

2041 दस्तावेज को अंतिम रूप देना एक समय लेने वाली प्रक्रिया है। चूंकि, यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंतिम रूप देने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

(ख): शहरी परिवहन आदि जैसी परियोजनाओं की विभिन्न स्तरों पर नियमित निगरानी और प्रभावी संवितरण तंत्र के माध्यम से निधियों का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया जाता है ताकि इन निधियों का उपयोग ऐसे शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए किया जा सके जिसमें प्रदूषण, भीड़भाड़ और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे शहरीकरण के बढ़ते मुद्दों को हल करने के लिए मेट्रो रेल परियोजनाएं शामिल हैं। परिणामस्वरूप परिचालित मेट्रो रेल नेटवर्क वाले शहरों की संख्या 5 शहरों से बढ़कर 23 हो गई हैं और पिछले 10 वर्षों में कुल परिचालित मेट्रो रेल नेटवर्क 248 कि.मी. से बढ़कर 993 कि.मी. हो गया है।

भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। भारत सरकार योजनाबद्ध कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करती है। 25 जून 2015 को देश भर के चयनित 500 शहरों (15 विलय किए गए शहरों सहित 485 शहर) और कस्बों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया गया था। यह मिशन चयनित शहरों और कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित स्थान और पार्क तथा गैर-मोटरीकृत शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर केंद्रित है।
दिल्ली में, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) विभिन्न एजेंसियों से बजट आवंटन प्राप्त करने के बाद शहरीकरण के बढ़ते मुद्दों को कुशलतापूर्वक हल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और अमृत 2.0 जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत विभिन्न कार्यों को क्रियान्वित करता है।

(ग): 15वें वित्त आयोग ने नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए प्रदर्शन-आधारित चुनौती निधि के रूप में 8,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इस निधि के ज़रिए एक राज्य में सिर्फ़ एक ही नया शहर लिया जा सकता है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप, मंत्रालय ने नए शहरों के इनक्यूबेशन के लिए बोली मापदंडों को अंतिम रूप देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति (ईसी) का गठन किया। समिति ने न्यूनतम पात्रता शर्तों और बोली मापदंडों को अंतिम रूप दिया और सभी राज्यों को प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) भेजा गया। मंत्रालय को अंतिम तिथि तक 21 राज्यों से 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए। उत्तर-पूर्वी राज्यों से गुणवत्तापूर्ण प्रस्ताव न मिलने के कारण इन राज्यों से नए/संशोधित प्रस्ताव मांगे गए हैं। परिणामस्वरूप, 23 राज्यों से कुल 28 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी प्रस्ताव जांच/संवीक्षा के लिए सक्षम स्तर पर हैं।

(घ): 'भूमि' और 'कालोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए, अपने नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय दिनांक 25.06.2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी

(पीएमएवाई-यू) के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ सभी मौसमानुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराना है। पीएमएवाई-यू वर्तमान में पहले से स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए विस्तार चरण में है।

पीएमएवाई-यू के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दिनांक 01.09.2024 से इसके संशोधित संस्करण - पीएमएवाई-यू 2.0 'सबके लिए आवास' मिशन का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से देश भर के शहरी क्षेत्रों में एक करोड़ परिवारों को किफायती लागत पर आवास बनाने, खरीदने और किराए पर लेने में सहायता करना है। इस योजना में लाभार्थियों के आधार सत्यापन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) / सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के व्यय-अग्रिम-हस्तांतरण (ईएटी) मॉड्यूल के माध्यम से सहायता का हस्तांतरण, आवासों की जियोटैगिंग आदि जैसे अंतर्निहित प्रावधान हैं, जिन्हें पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए मजबूत पीएमएवाई-यू एमआईएस प्रणाली में एकीकृत किया गया है कि इसका लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचे।

दिल्ली में, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी विभिन्न आवास योजनाओं में सब्सिडी दरों पर ईडब्ल्यूएस फ्लैटों के साथ-साथ एलआईजी फ्लैट देकर किफायती आवास खंड की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ वंचितों तक पहुँचे, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत आवेदन करने के लिए विशिष्ट प्रतिबंध लागू हैं। केवल ईडब्ल्यूएस श्रेणी के आवेदक या एक विशिष्ट पारिवारिक आय वाले लोग ही पात्र हैं। इस योजना के लिए आय मानदंड समय-समय पर अपडेट किए जाते हैं और वर्तमान आवश्यकता यह है कि आवेदक की पारिवारिक आय 10 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम होनी चाहिए। यह आय सीमा सुनिश्चित करती है कि लाभ केवल वंचितों को ही मिले।

(ड.): 'शहरी नियोजन' एक राज्य का विषय है। इसलिए, संबंधित राज्य सरकारें सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच एकीकरण सहित शहरी परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर योजना बनाने, आरंभ करने और विकासित करने के लिए जिम्मेदार हैं। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006, मेट्रो रेल नीति, 2017 और परिवहन उन्मुख विकास नीति, 2017 जैसी नीतियां तैयार की हैं जो राज्य सरकारों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती हैं ताकि शहरी परिवहन प्रणालियों की योजना बनाई जा सके और उन्हें सबसे स्थायी और व्यवहार्य तरीके से कार्यान्वित किया जा सके।

स्मार्ट सिटीज मिशन (एससीएम) के तहत 100 शहरों का चयन किया गया है, जहाँ स्थानीय शहरी आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए व्यापक नागरिक सहभागिता की गई है।

नागरिक सहभागिता के साथ पहचानी गई स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार, शहरों ने शहरी परिवहन और स्थिरता में सुधार के लिए कई परियोजनाएँ शुरू की हैं, जिनमें सार्वजनिक परिवहन, गैर-मोटरचालित परिवहन (एनएमटी), सार्वजनिक साइकिल शेयरिंग (पीबीएस), अंतिम गंतव्य संयोजकता, मल्टीमॉडल ट्रांजिट हब शामिल हैं।

गैर-मोटरचालित शहरी परिवहन अमृत मिशन के प्रमुख क्षेत्रों में से एक है, जिसमें पैदल यात्री, गैर-मोटरचालित और सार्वजनिक परिवहन सुविधाएँ, साइकिल ट्रैक, पार्किंग स्थल आदि का प्रावधान शामिल है। इस क्षेत्र का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करके या गैर-मोटरचालित परिवहन (जैसे पैदल चलना और साइकिल चलाना) के लिए सुविधाएँ बनाकर प्रदूषण को कम करना है। 77,640 करोड़ रू. के कुल योजना आकार में से, इस क्षेत्र के अंतर्गत 1,436 करोड़ रू. (2%) आवंटित किए गए हैं। अब तक 1,021.65 करोड़ रू. की लागत वाली 352 परियोजनाएँ शुरू की जा चुकी हैं, जिनमें से 849.58 करोड़ रू. की लागत वाली 323 परियोजनाएँ पूर्ण की जा चुकी हैं। शहरी परिवहन क्षेत्र में शुरू की गई परियोजनाओं के माध्यम से, अमृत मिशन शहरों में 430 किलोमीटर पैदल यात्री मार्ग, 43 किलोमीटर विशिष्ट साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं।

*****